website.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

हिन्दी दिवस संदेश 14.09.2026

जिला न्यायालय, उत्तर–पूर्व परिवार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिन्दी दिवस का इतिहास बहुत पुराना है, महात्मा गाँधी जी ने हिन्दी को जनमानस की भाषा कहा था। आज हिन्दी का प्रचार, प्रसार एवं उपयोग सरकारी कार्यालयों में पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा है। जिला न्यायालयों में भी हिन्दी विभागों की स्थापना की जा चुकी है। हमें सूचित करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि जिला न्यायालय, उत्तर–पूर्व में भी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी को अपनाया जा रहा है। हिन्दी विभाग कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यरत है।

निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल,
बिन निज भाषा–ज्ञान के मिटे न हिय के सूल।

जैसे नभ में सूर्य–चंद्रमा और सजे सुहागन की बिंदी,
आओ रखें मन, हृदय–पटल पर, मातृभाषा देवनागरी हिन्दी ।

हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। 14 सितम्बर को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 'वर्धा' के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को हिन्दी–दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अंतर्मन से स्वयं जो निकले, सूर्य किरण सी आशा है,
भारत को परिभाषित करती, हिंदी ऐसी भाषा है ।

हिन्दी भाषा का विकास व्यक्ति विशेष का विकास नही, पूरे देश का विकास है। हम सभी को इस हिन्दी दिवस पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम सभी अपनी राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तथा देश के विकास में अपना योगदान देगें। हिन्दी विभाग, उत्तर–पूर्व जिला आपके सहयोग एवं सहायता के लिए सदैव तत्पर है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
प्राप्ति संख्या 7001
08 SEP 2026
नई दिल्ली

संजय शर्मा

(संजय शर्मा–1)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय,
दिल्ली।

संख्या 7316 - 7323/हिन्दी/उ.पूर्व/कड़कड़डूमा/दिल्ली/2026 दिनांक......................

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू संदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैः–

1. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, दिल्ली।
2. राजभाषा हिन्दी कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. हिन्दी नोडल अधिकारी, उत्तर–पूर्वी/पूर्व/शाहदरा, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक), उत्तर–पूर्व जिला,पूर्व जिला एवं शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. सभी विभाग/अनुभाग एवं रिकार्ड रूम, मध्यस्ता केन्द्र तथा विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. हिन्दी वेबसाइट समिति, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, लेयर्स पर अपलोड करने हेतू ।

तानिया सिंह

(तानिया सिंह)
नोड्ल अधिकारी, हिन्दी अनुभाग,
उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय,दिल्ली।